भारत सरकार
शक्षा मंत्रालय
उच्चतर शक्षा वभाग
लोक सभा
अतारां कत प्रश्न संख्या- **1344**
उत्तर देने की तारीख-08/**12**/2025

एनईईटी उम्मीदवारों में आत्महत्या

†1344. श्री एस. जगतरक्षकन:

क्या *शक्षा* मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क:

(क) एनईईटी परिणामों की घोषणा के बाद वगत तीन वर्षों के दौरान देश भर में एनईईटी की तैयारी करने वाले अभ्य र्थयों सहित वद्या र्थयों द्वारा आत्महत्या के राज्य/वर्ष-वार कतने मामले दर्ज कए गए हैं;
(ख) क्या सरकार ने एनईईटी उम्मीदवारों और मे डकल छात्रों के मान सक स्वास्थ्य संकट को समझने के लए कोई अध्ययन/सर्वेक्षण कराया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने ऐसे आत्महत्या को रोकने के लए एनईईटी अभ्य र्थयों को मनो वज्ञान संबंधी परामर्श, हेल्पलाइन स वस, तनाव प्रबंधन कार्यक्रम और करियर गाइडेंस देने के लए कोई सहायता प्रणाली बनाने की योजना बनाई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(घ) क्या केंद्र सरकार छात्रों की बार-बार होने वाली मान सक स्वास्थ्य चंताओं को देखते हुए मे डकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लए राज्यों को अ धक स्वायत्तता देने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (घ): राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) पु लस द्वारा दर्ज आत्महत्या के मामलों से आत्महत्या संबंधी आंकड़े एकत्र करता है। देश में आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्या से संबं धत आंकड़ों का व्यापक वश्लेषण, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा भारत में आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्या (एडीएसआई) रिपोर्ट में प्रतिवर्ष प्रका शत कया जाता है।

छात्र आत्महत्याओं का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा एडीएसआई रिपोर्ट में उपलब्ध है, जिसे https://ncrb.gov.in/accidental-deaths-suicides-in-india-year-wise.html. पर देखा जा सकता है।

केन्द्र सरकार ने आत्महत्या की घटनाओं से बचने के लए मान सक और भावनात्मक कल्याण के लए छात्रों, शक्षकों और परिवारों को मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करने के लए कई उपाय कए हैं।

- शक्षा मंत्रालय ने दिनांक 10.07.2023 को उच्चतर शक्षा संस्थानों (एचईआई) में वद्या र्थयों के भावनात्मक और मान सक कल्याण के लए एक व्यापक रूपरेखा भी प्रसारित की है, जिसमें संस्थानों से अनुरोध कया गया है क वे इसे अपनी कार्यप्रणाली में स क्रय रूप से शा मल करें और वद्यार्थी समुदाय में आत्म वश्वास की भावना उत्पन्न करें।
- शक्षा मंत्रालय द्वारा को चंग सेंटरों के वनियमन हेतु दिशानिर्देश दिनांक 16.01.2024 को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उ चत कानूनी रूपरेखा के माध्यम से वचार करने के लए जारी कए गए है। इन दिशानिर्देशों में कई प्रमुख पहलुओं को शा मल कया गया है, जिनमें मान सक स्वास्थ्य के महत्व पर बल देना, को चंग केन्द्रों में परामर्शदाताओं और मनोवैज्ञानिकों के सहयोग को प्राथ मकता देने का समर्थन करना, बैचों में अलगाव न करना, अ भलेखों का रखरखाव आदि शा मल हैं।
- शक्षा मंत्रालय की एक पहल, मनोदर्पण, मान सक और भावनात्मक कल्याण हेतु वद्या र्थयों, शक्षकों और परिवारों को मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करने के लए गति व धयों की एक वस्तृत श्रृंखला को शा मल करती है। इनमें - राष्ट्रीय टोल-फ्री हेल्पलाइन शा मल है जो प्र श क्षत परामर्शदाता के माध्यम से कॉल करने वालों को मार्गदर्शन प्रदान करती है और लाइव इंटरैक्टिव सत्र 'सहयोग' व वेबिनार 'परिचर्चा' जो सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के वद्या र्थयों सहित सभी हितधारकों के बीच मान सक स्वास्थ्य के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लए नय मत रूप से आयोजित की जाती है। ये सत्र पीएम ई-वद्या चैनलों पर प्रसारित कए जाते हैं और 'एनसीईआरटी के आ धकारिक' यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध हैं।
- देश में गुणवत्तापूर्ण मान सक स्वास्थ्य परामर्श और देखभाल सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लए वर्ष 2022 में एक राष्ट्रीय टेली मान सक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू कया गया है। दिनांक 17.07.2025 की स्थिति के अनुसार, 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने राज्य भर में 53

टेली मान सक स्वास्थ्य सहायता और नेटव र्किंग अक्रॉस स्टेट्स (मानस) प्रकोष्ठ स्था पत कए हैं। हेल्पलाइन नंबर पर 29,75,000 से अ धक कॉल का उत्तर दिया गया हैं। सरकार ने स्वास्थ्य से लेकर मान सक वकारों तक के मान सक स्वास्थ्य के मुद्दों के लए सहायता प्रदान करने के लए टेली मानस मोबाइल एप्लिकेशन भी लॉन्च कया है।

- मान सक वकारों की समस्या से निपटने के लए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमएचएफ़डब्लयू) देश में राष्ट्रीय मान सक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनएमएचपी) कार्यान्वित कर रहा है। एनएमएचपी का जिला मान सक स्वास्थ्य कार्यक्रम (डीएमएचपी) घटक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मशन के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करता है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सीएचसी) और प्राथ मक स्वास्थ्य केन्द्र (पीएचसी) स्तरों पर डीएमएचपी के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई सु वधाओं में अन्य बातों के साथ-साथ आउट पेशेंट सेवाएं, मूल्यांकन, परामर्श/मनो-सामाजिक कार्यकलाप, गंभीर मान सक वकारों वाले व्यक्तियों के लए निरंतर देखभाल और सहायता, दवाएं, प्रसार सेवाएं, एम्बुलेंस सेवाएं आदि शा मल हैं।
- उपरोक्त के अलावा, सरकार ने 1.81 लाख से अ धक उप स्वास्थ्य केंद्रों (एसएचसी) और प्राथ मक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) को आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में अपग्रेड कया है। इन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में प्रदान की जाने वाली व्यापक प्राथ मक स्वास्थ्य देखभाल के तहत सेवाओं के पैकेजों में मान सक स्वास्थ्य सेवाओं को जोड़ा गया है।

राष्ट्रीय च कत्सा आयोग (एनएमसी) अ धनियम, **2019** की धारा **14** के अनुसार, देश के सभी च कत्सा संस्थानों में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) प्रवेश एक समान प्रवेश परीक्षा के तौर पर आयोजित कया जाना है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 29 अप्रैल 2020 के मामले क्रश्चियन मे डकल कॉलेज वेल्लोर एसो सएशन बनाम भारत सरकार एवं अन्य के निर्णय के माध्यम से सभी च कत्सा संस्थानों में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु एनईईटी को एक समान प्रवेश परीक्षा के रूप में बरकरार रखा है और कहा है क एकसमान प्रवेश परीक्षा आनुपातिकता की परीक्षा में उत्तीर्ण होता है और उ चत है।

*****